:: कार्यालय ज्ञाप ::

शैक्षिक सत्र 2010–11 के विषम संख्यक सेमेस्टर का अध्ययन/अध्यापन कार्य **02 अगस्त, 2010 दिन सोमवार** से प्रारम्भ होना निर्धारित है। बी0टेक0/एम0सी0ए0 (नवप्रवेशित छात्रों को छोड कर) पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त छात्रों के विषम संख्यक सेमेस्टर का पंजीकरण निम्नोक्त समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न होगा।

दिनांक	समय	सेमेस्टर
02/08/2010	10:15 बजे पूर्वान्ह	बी0टेक0/एम0सी0ए0 द्वितीय वर्ष, एम0टेक0 (समस्त सेमेस्टर) एवं पी0एच0डी0
03/08/2010	10:15 बजे पूर्वान्ह	बी0टेक0 तृतीय वर्ष
04/08/2010	10:15 बजे पूर्वान्ह	बी0टेक0/एम0सी0ए0 अन्तिम वर्ष

संस्थान शुल्क इत्यादि का विवरण 15 जुलाई, 2010 तक संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। तद्नुसार ही शुल्क भुगतान, निदेशक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर के पक्ष में आहरित एवं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कानपुर शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से संस्थान स्थित सेन्ट्रल बैंक की शाखा में, शैक्षिक अनुभाग से उपलब्ध ''पे इन स्लिप'' के आधार पर किया जा सकता है।

समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य जाति छात्रवृत्ति योजना, पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अन्य पिछडा वर्ग छात्रवृत्ति योजना तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत जो छात्र पात्र है वह इस हेतु निर्धारित प्रपत्र को शैक्षिक अनुभाग से प्राप्त कर लें अथवा संस्थान की बेवसाइट से डाउनलोड कर लें। **छात्रों से अपेक्षा है कि आवेदन पत्रों में दी गई समस्त प्रविष्टियों को वह सुस्पष्ट रूप से पूर्ण कर इन आवेदन पत्रों को इस वित्तीय वर्ष के लिये जारी पारिवारिक आय प्रमाण पत्र तथा संवर्ग सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति (प्रमाण पत्रों पर उ0प्र0 शासन की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 11 अंकों का निर्गमन संख्या अनिवार्य रूप से अंकित होनी चाहिये) एवं माता/पिता/अभिभावक द्वारा छात्र सहित परिवार के दो से ज्यादा सदस्यों के उक्त योजना के लाभार्थी न होने का शपथपत्र अनिवार्य रूप से पंजीकरण की तिथि को सम्बन्धित समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे।** सम्बन्धित समिति की अनुशंसा के पश्चात् ही छात्र को शुल्क मुक्ति/शिक्षण शुल्क में निधारित छूट अनुमन्य की जा सकेगी। सम्बन्धित छात्रवृत्ति अनुशंसा समितियों द्वारा अअनुशंसित छात्रों का इस सुविधा के अन्तर्गत पंजीकरण सम्भव नहीं होगा। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि छात्रवृत्ति नवीनीकरण का कोई भी अनुरोध सम्बन्धित शासकीय विभागों की नीति के अनुरूप 15 अगस्त, 2010 के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जायेगा और छात्रवृत्ति सह शुल्क प्रतिपूर्ति के लाभ से वंचित रहने का दायित्व पूर्णरूपेण सम्बन्धित छात्र का होगा।

निर्धारित तिथि के उपरान्त पंजीकरण रू0 100/– प्रति कार्यदिवस के बिलम्ब शुल्क के साथ ही स्वीकार किया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र का होगा।

पंजीकरण की तिथि के अगले दिन से शैक्षिक सत्र 2010–2011 का नियमित पठन/पाठन कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। छात्र भिज्ञ है कि विश्वविद्यालय के सम्बन्धित परिनियमों के अनुसार शत प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। विशेष परिस्थितियों में ही उपस्थिति में छात्र को 25 प्रतिशत की शिथिलता अनुमन्य है। अतः छात्रों से अपेक्षा है कि वह अपने स्वयं के हित में सत्र के प्रारम्भ से ही वह अपनी कक्षाओं में नियमित रहें।

(सुनील कुमार)
अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप

कार्यालय निदेशक
हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

पत्र सं0: 1015/शैक्षिक/पंजी0/2009–10 दिनांकः 03/06/2010

प्रतिलिपि निम्नोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, अनुभाग प्रभारी, कार्यशालाधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एच0बी0टी0आई0 कानपुर को संज्ञानार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि इसे विभागीय सूचनापट्ट पर छात्रों के सूचनार्थ प्रदर्शित कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, एच0बी0टी0आई0, कानपुर को दस प्रतियॉ इस अनुरोध के साथ कि इसे छात्रावासों के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करने हेतु सम्बन्धित कर्मी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. परीक्षा नियंत्रक, एच0बी0टी0आई0 कानपुर के संज्ञानार्थ।
4. संयोजक, समय–सारिणी समिति, एच0बी0टी0आई0 कानपुर के संज्ञानार्थ।
5. सम्बन्धित छात्रवृत्ति अनुशंसा समिति, एच0बी0टी0आई0 कानपुर के समस्त सदस्यों के सूचनार्थ।
6. सिस्टम मैनेजर, एच0बी0टी0आई0 कानपुर को इस आशय के साथ कि उक्त सूचना को संस्थान की वेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. कुलसचिव/लेखाधिकारी एच0बी0टी0आई0 कानपुर।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसका संज्ञान ले लें। यदि इस प्रारूप में कोई परिवर्तन हो तो उसे पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह अन्दर अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को अवगत करा दें।
9. शाखा प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, एच0बी0टी0आई0, कानपुर को इस आशय के साथ कि उपरोक्त के दृष्टिगत् उपरोक्त तिथियों पर आवश्यक अतिरिक्त व्यवस्था करने का कष्ट करें।
10. वैयक्तिक सहायक निदेशक महोदय को इस अनुरोध के साथ कि इसे निदेशक जी के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

(सुनील कुमार)
अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप

:: कार्यालय ज्ञाप ::

संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में विगत सत्र 2009–10 में अध्ययनरत छात्रों, जो विगत वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर वर्तमान सत्र 2010–11 में उच्चतर कक्षा में पंजीकरण के पात्र होंगे, के पंजीकरण के सन्दर्भ में निर्गत पूर्व परिपत्र संख्या 1015/शैक्षिक/पंजी0/2009–10 दिनांकः 03/06/2010 के क्रम में समस्त सम्बन्धित छात्रों के संज्ञानार्थ अनन्तिम देय संस्थान शुल्क की सूची एतद्साथ संलग्न है।

साथ ही, शासन के नवीनतम आदेशों के साथ उपलब्ध कराई गई दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का नवीनतम प्रारूप एवं निर्देश भी छात्रों के संज्ञानार्थ संलग्न है। छात्रों से अपेक्षा है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की पात्रता की स्थिति में संलग्न नवीन प्रारूप को निर्देशों में निहित संलग्नकों सहित पंजीकरण की तिथि को सम्बन्धित समिति को प्रस्तुत करते हुये इस पर अनुशंसा प्राप्त कर नियमान्तर्गत अनुमन्य शुल्क मुक्त प्रवेश का लाभ प्राप्त करें। **शासन द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित करने के विशेष निर्देश हैं और इस हेतु निर्धारित समय सीमा के दृष्टिगत् समस्त छात्रों को अवगत कराना है कि 14 अगस्त, 2010 के पश्चात् नवप्रवेशित छात्रों को छोड कर अन्य किसी भी छात्र का दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।**

(रीना सिंघल)
सह अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप

संलग्नकः यथोक्त।

कार्यालय निदेशक
हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

पत्र सं0: /शैक्षिक/पंजी0/2010–11 दिनांकः 23/07/2010

प्रतिलिपिः

1. सिस्टम मैनेजर, एच0बी0टी0आई0 कानपुर को इस आशय के साथ कि उक्त सूचना को संस्थान की वेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. वैयक्तिक सहायक निदेशक महोदय को इस अनुरोध के साथ कि इसे निदेशक जी के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

(रीना सिंघल)
सह अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप

FEE DETAILS FOR SESSION 2010 – 11

		द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
बी0टेक0	सामान्य–नियमित	रू0 34380/–	रू0 34380/–	रू0 34580/–
		रू0 37980/– नव प्रवेशित छात्रों पर प्रभावी		
	सामान्य–पुर्नप्रवेश प्राप्त	रू0 34380/–	रू0 34380/–	रू0 34580/–
	अप्रवासी–नियमित	**$**5000* + रू0 9380/–	**$**5000* + रू0 9380/–	**$**5000* + रू0 9580/–
	अप्रवासी–पुर्नप्रवेश प्राप्त	**$**5000* + रू0 9380/–	**$**5000* + रू0 9380/–	**$**5000* + रू0 9580/–
एम0सी0ए0	सामान्य–नियमित	रू0 28380/–	रू0 28580/–	–
	सामान्य–पुर्नप्रवेश प्राप्त	रू0 28380/–	रू0 28580/–	–
एम0टेक0 (गेट क्वालीफाइड)		रू0 26580/–	–	–
एम0टेक0 (नान गेट क्वालीफाइड)		रू0 31580/–	–	–

* भारतीय मुद्रा में समतुल्य राशि का भुगतान 2 अगस्त 2010 को डालर (यू0एस0ए0) के प्रचलित विक्रय मूल्य पर आधारित है। (**$**5000 = रू0 231200.00)

नोटः शासन द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं जिसमें संस्थान भी शामिल हैं, के विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क पुनरीक्षण का प्रकरण शासन के विचाराधीन है। शासन द्वारा इस सन्दर्भ में लिये गये निर्णय के अनुसार ही शैक्षिक सत्र 2010–11 में शिक्षण शुल्क निर्धारित/प्रभावी होगा।

SRNo.:_____________ Year: 1 /2 / 3 / 4 Yr Course: ___________ Branch:________

दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र

1. विद्यालय/संस्था का नाम/पता : **एच0बी0टी0आई0, कानपुर**
2. शिक्षा सत्र : **2010–11**
3. छात्र/छात्रा का पूरा नाम : ....
4. जन्म तिथि : ....
5. हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष :.................. बोर्ड : ....
   अनुक्रमांक : ....
6. लिंग (पुरूष/स्त्री) : ....
7. पिता का नाम व व्यवसाय : ....
8. माता का नाम व व्यवसाय : ....
9. विधिक अभिभावक का नाम व व्यवसाय : ....
   (यदि माता पिता से भिन्न हों)
10. श्रेणी : .... उपजाति : .... धर्म : ....
    (1. सामान्य 2. अनुसूचित जाति 3. अनुसूचित जनजाति 4. अन्य पिछडा वर्ग 5. अल्पसंख्यक)
11. पूरा स्थायी पता : ....
    ....
12. पत्र व्यवहार का पूरा पता : ....
    ....
13. कक्षा/पाठ्यक्रम का पूरा नाम : ....
14. पाठ्यक्रम की अवधि : ....
15. कक्षा/पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि : ....
16. वर्तमान वर्ष में छात्र/छात्रा के पाठ्यक्रम का वर्ष : .... प्रवेश तिथि : ....
17. कक्षा में प्रवेश का प्रकार (नियमित सीट या स्व–वित्त पोषित सीट) ....
18. माता/पिता/पति/विधिक अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आयः रू0 .... आय प्रमाण पत्र संख्या .... (यदि माता/पिता जीवित न हों तो विधिक अभिभावक की वार्षिक आय)
19. आवासीय छात्र/दिवा छात्र (उल्लेख करें): ....
20. छात्र के बैंक का नाम : **सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया** शाखा का नाम : **एच0बी0टी0आई0, कानपुर**
    खाता संख्या .... (जनपद के बाहर के खाते अनुमन्य नहीं)
21. पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति की धनराशि (अंको में) .... (शब्दों में) ....
22. पाठ्यक्रम हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदित वार्षिक नान रिफण्डेबल अनिवार्य शुल्क धनराशि (अंको में) .... शब्दों में ....
    (यदि पूर्व में वर्तमान अध्ययन अवधि में कोई अन्तराल/व्यवधान (गैप) हो तो उसका पूर्ण विवरण शपथ पत्र में संलग्न करें)

घोषणा पत्र

हम घोषित करते हैं कि उपरोक्त सूचनाएं सही हैं, मुझे अन्य किसी स्रोत से दूसरी छात्रवृत्तियॉ प्राप्त नहीं हो रही हैं तथा मैं कहीं भी सेवारत नहीं हूँ।

यदि कोई सूचना एवं संलग्न आय व जाति प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पायी जाय तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित वापस कर दूँगा/दूँगी एवं विभाग मेरे खिलाफ समुचित विधिक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।

माता/पिता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान **छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर**
(माता/पिता की मृत्यु की दशा में विधिक रूप से घोषित अभिभावक)

उपरोक्त सूचनाओं का सत्यापन संस्थान स्तर पर कर लिया गया है।

प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर

नोटः आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश पृष्ठ भाग पर अंकित हैं।

आवेदन पत्र भरने के दिशा–निर्देश

1. आवेदन पत्र स्वच्छ हस्तलिपि में हिन्दी/अंग्रजी में भरे जाय।
2. श्रेणी के आवेदक द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक जैसी स्थिति हो अंकित किया जाय।
3. तहसील से निर्गत नवीनतम आय प्रमाण पत्र जिस पर 11 अंकों का निर्गम कमांक एवं तिथि स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो तथा जो छात्र के माता/पिता/विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से पारिवारिक आय को प्रमाणित करता हो को मूल रूप में संलग्न किया जाय। साथ ही प्राइवेट या सरकारी सेवा में कार्यरत माता/पिता/विधिक अभिभावक अनिवार्य रूप से अपने सेवायोजक द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
4. हाई स्कूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाय।
5. आवेदन पत्र पर संलग्न फोटो इस प्रकार प्रमाणित की जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर आये।
6. छात्र का बैंक खाता सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, एच0बी0टी0आई0, शाखा का होना चाहिये एवं छात्र बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करेंगे।
7. आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों में जॉचोपरान्त यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो आवेदक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
8. स्थायी एवं पत्र व्यवहार के पते में निम्न प्रकार से प्रविष्टियॉ की जायः

   (क) ग्रामीण क्षेत्रः ग्राम .... ग्राम पंचायत .... पोस्ट आफिस ....

   विकास खण्ड .... थाना क्षेत्र .... तहसील .... जनपद ....

   (ख) शहरी क्षेत्रः मकान संख्या .... वार्ड/मुहल्ला .... पोस्ट आफिस ....

   थाना क्षेत्र .... शहरी निकाय .... तहसील .... जनपद ....

.